न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 49/019

तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :—प्रार्थी

बनाम

1 सरदार पुत्र श्यौजी
2 भरोसी पुत्र श्यौजी
} समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान मुडिया तहसील टोडाभीम जिला करौली

— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 07.08.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 579/2573 रकवा 0.02 है0.ग्राम मुडिया तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 400 मि. रकवा 2 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नली के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2037 से 40 यह भूमि श्यौजी पुत्र कल्ली के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 400 मि. का नवीन खसरा नम्बर 579/2573 रकवा 0.02 है0 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीयान जरिये बकालान्तन उपस्थित आया ओर जबाब पेश किया अपने जवाव कथन में कहा की विवादित आराजी कभी भी नाली आदी के रूप में नही रही है अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि के पास में है ओर पचासो वर्षो से कास्त की जा रही है इस भूमि पर अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में दिये गये निर्देश लागू नही होते है। अंन्त में प्रार्थनापत्र खारिज फरमराया जावे।

वकील अप्रार्थी की बहस सुनी। दोराने बहस अपने कथन में जवाव को दोहराते हुए कहा की विवादीत आराजी वर्षो पुराना कब्जा है मौके पर कोई नाली नही है प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जबाव एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019 की खाता सख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 400 मि. रकवा 2 विस्वा भूमि गैरमुमकिन नाली के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे से मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2037 से 40 मे नामान्तकरण संख्या 32 सें परिवर्तन होकर अप्रार्थीयान के नाम आराजी खसरा नम्बर 579/2573 रकवा 0.02 है0. खातेदारी स्वीकृत हुयी थी बारानी 3 हाल जमाबंदी सम्बत 2072 से 75 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 579/2573 रकवा 0.02 है0.ग्राम मूडिया तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019